Helpline No:- +91 7597122440

# जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 -2850551–75

कमांक : प ( ) जरारासंविवि / शै.मी. / 23 / 816 दिनांक:- 4/05/23

## कार्यपरिषद की 73 वीं बैठक दिनांक 09.04.2023 अपराह्न 03.00 बजे का बैठक कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 73 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 09.04.2023 को अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1 प्रोफेसर रामसेवक दुबे, माननीय कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद, जरारासंविवि, जयपुर।
2 श्रीमान निदेशक, संस्कृत शिक्षा एवं कार्यपरिषद सदस्य (पदेन), राजस्थान, जयपुर।
3 श्रीमान् प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री, राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद् के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य। श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
4 श्रीमान् प्रोफेसर केशरीनन्दन मिश्र, कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य। प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज।
5 श्रीमान् प्रोफेसर भास्कर शर्मा, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य एवं प्राचार्य, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर।
6 श्रीमान् डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नामित संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य एवं सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
7 श्रीमान् डॉ0 कैलाशचन्द शर्मा, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों और संघटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित कार्यपरिषद् सदस्य एवं सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
8 श्रीमान् डॉ0 राजधर मिश्र, कुलसचिव तथा सदस्य सचिव (पदेन) कार्यपरिषद, जरारासंविवि, जयपुर।

डॉ0 राजधर मिश्र, सह आचार्य, व्याकरण विभाग के मंगलाचरण के पश्चात् सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कार्यपरिषद् के बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई एवं गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

| बिन्दु संख्या | विवरण | निर्णय |
|---|---|---|
| 73–1 | कार्यपरिषद् की 72वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। | कार्यपरिषद् की 72वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 72–28 एवं 72–30 में आंशिक निम्नानुसार संशोधन सदन द्वारा करते हुए कार्यपरिषद् की 72वीं बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। संशोधन निम्नानुसार है:–<br>72–28:– विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 संदीप जोशी, सहायक आचार्य, अनुसंधान केन्द्र को आदेश क्रमांक 107 दिनांक 10.04.2007 जारी कार्यालय आदेश के द्वारा अशैक्षणिक संवर्ग में माना गया था, जिसे कार्यपरिषद् में सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से शून्य माने जाने का निर्णय लिया गया।<br>डॉ0 संदीप जोशी, सहायक आचार्य, अनुसंधान केन्द्र को गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शैक्षणिक संवर्ग में अधिसूचित करते हुए संबंधित परिलाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया एवं अनुसंधान विभाग में डॉ संदीप जोशी |

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
Helpline No:- +91 7597122440
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 - 2850551–75

का कार्यालयीय कार्यभार, समय व सेवायें तथा अवकाश आदि पूर्ववत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

72–30:– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अधिनियम की धारा 9(क)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 12.01.2022 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश पत्र दिनांक 11.04.2022 की पालना में कमेटी के अभिमत का बिन्दुवार विचार–विमर्श किया गया।

निर्णयः–(i) बिन्दु संख्या 01 में प्रकरण को कार्यपरिषद् में पुनः विचारार्थ रखकर निर्णय लिया जावे कि बैठक में राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के सभी नामित एवं पदेन सदस्य उपस्थित हो। कार्यपरिषद् ने इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टि से इस शर्त की पालना में कठिनाई को देखते हुए श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से इस आदेश पर कृपापूर्वक पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि एतत् संबंधी पत्रावली दिनांक 19.10.2022 को विश्वविद्यालय से राजभवन में पुनः विचारार्थ मंगवा ली गयी है, जिसकी प्राप्ति कार्यालय में उपलब्ध है।

(ii) बिन्दु संख्या 02 में कमेटी के अभिमत अनुसार मामले की विस्तृत विशिष्ट जांच किसी अन्य समिति या स्वतन्त्र एजेन्सी या ब्यूरो से करवाये जाने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(iii) बिन्दु संख्या 03 में कमेटी के मतानुसार यदि विकल्प उपलब्ध हो तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार पदों पर लगाने से बचना चाहिये, को स्वीकार करते हुए सदस्यों द्वारा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य प्रो0 रामकिशोर शास्त्री द्वारा अपना नोट ऑफ डिसेन्ट इस प्रकार लिखवाया गया–

"डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, श्री महेश शर्मा, श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी के प्रकरण पर विधिवत गठित समिति के आधार पर इन्हें कार्यपरिषद् द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। इसलिये इस प्रकरण को प्रो0 ए0 के0 गहलोत कमेटी की

| | | |
|---|---|---|
| | | संस्तुतियों के आधार पर पुनः कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना ना तो विधि सम्मत् है और ना ही प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है।"<br>दिनांक 09.04.2023 को आयोजित कार्यपरिषद् की 73वीं बैठक में कार्यपरिषद् की 72वीं बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण के प्रारूप, जो कि संबंधित कार्यपरिषद् सदस्यों को पत्र क्रमांक 170–178 दिनांक 05.04.2023 द्वारा संलग्न कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने पर राज्य सरकार के कार्यपरिषद् में प्रतिनिधि सदस्य प्रो0 रामकिशोर शास्त्री जी द्वारा अपने नॉट ऑफ डिसेन्ट को निम्नानुसार संशोधन करवाये जाने हेतु सदन को अवगत कराया गया–<br>"डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, श्री महेश शर्मा, श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी के प्रकरण पर विधिवत गठित समिति के आधार पर इन्हें कार्यपरिषद् द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रो0 ए0के0 गहलोत की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति ने अपनी जाँच में किसी नये बिन्दु को संज्ञान में नहीं दिया है, बल्कि वह वही बिन्दु है, जिन पर जाँच समिति ने विचार किया और इसी आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा दोषमुक्त किया गया। इसलिये इस प्रकरण को प्रो0 ए0 के0 गहलोत कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पुनः कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना ना तो विधि सम्मत् है और ना ही प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है।"<br>संबंधित एजेण्डा बिन्दु में निर्णय ऊपर अंकित कर दिये गये है। |
| 73–2 | विज्ञापित होने वाले शैक्षणिक पदों की निर्धारित योग्यताओं और विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हेतु। अनुमोदनार्थ/विचारार्थ। | तैयार किया गया रोस्टर रजिस्टर का सदन द्वारा अवलोकन किया गया एवं सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया गया। तैयार की गई शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शिक्षाशास्त्री विभाग के अन्तर्गत होने वाले आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य की शैक्षणिक अर्हताओं का एनसीटीई तथा यूजीसी के मापदण्डानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 73–3 | अशैक्षणिक कार्मिकों के विज्ञापित होने वाले पदों की निर्धारित योग्यता का अनुमोदन, संबंधित विज्ञापन जारी करने हेतु प्रस्ताव एवं भर्ती प्रक्रिया का निर्धारण। | तैयार किया गया रोस्टर रजिस्टर का सदन द्वारा अवलोकन किया गया एवं सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से प्रशासनिक |

| | | |
|---|---|---|
| | अनुमोदनार्थ / विचारार्थ। | एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जावे। |
| 73–4 | विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद् की 58वीं बैठक दिनांक 16.09.2017 के बिन्दु संख्या 58–6 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के कुलसचिव को रूपये 15000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) तक की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:–<br>1. रूपये 15000/–(अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की जगह रूपये 25000/– (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जावे तथा संबंधित व्यय की शक्ति वित्त नियंत्रक के विश्वविद्यालय में अवकाश/कार्यालय में अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अनुमन्य होगा।<br>2. कुलसचिव के भी अवकाश/अनुपलब्ध पर उक्त दशा में उपकुलसचिव को रूपये 15000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के लिए इस शक्ति को प्रत्यायोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेखा संवर्ग के AAO से पत्रावली पर परीक्षण उपरान्त विधिक रूप में प्रयोग अनुमन्य होगा।<br>3. आवश्यक परिस्थिति में किये गये व्यय पर वित्त नियंत्रक एवं माननीय कुलपति महोदय से इसकी यथाशीघ्र कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।<br>4. व्यय का समायोजन वित्त नियंत्रक की टिप्पणी उपरान्त नियमानुसार किया जा सकेगा।<br>5. विश्वविद्यालय के कुलसचिव/उपकुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर के आमंत्रित अतिथियों से संबंधित मद यथा विभिन्न बैठकों, यात्रा, आवास, टैक्सी, भोजन इत्यादि हेतु अत्यावश्यक होने पर ही इस शक्ति का प्रयोग किये जाने की स्वीकृति होगी।<br>6. बिजली, पानी, चिकित्सा इत्यादि की अनिवार्यता/आकस्मिकता के कारण उत्पन्न दशा में, जब परम आवश्यकता हो, उक्त शक्ति के प्रयोग की स्वीकृति होगी।<br>उक्तानुसार आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव क्रमांक 197 दिनांक 06.04.2023 कार्यपरिषद् की बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ। | विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद् की 58वीं बैठक दिनांक 16.09.2017 के बिन्दु संख्या 58–6 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के कुलसचिव को रूपये 15000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) तक की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:–<br>1. रूपये 15000/–(अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की जगह रूपये 25000/– (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जावे तथा संबंधित व्यय की शक्ति वित्त नियंत्रक के विश्वविद्यालय में अवकाश/कार्यालय में अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अनुमन्य होगा।<br>2. कुलसचिव के भी अवकाश/अनुपलब्ध पर उक्त दशा में उपकुलसचिव को रूपये 15000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के लिए इस शक्ति को प्रत्यायोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेखा संवर्ग के AAO से पत्रावली पर परीक्षण उपरान्त विधिक रूप में प्रयोग अनुमन्य होगा।<br>3. आवश्यक परिस्थिति में किये गये व्यय पर वित्त नियंत्रक एवं माननीय कुलपति महोदय से इसकी यथाशीघ्र कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।<br>4. व्यय का समायोजन वित्त नियंत्रक की टिप्पणी उपरान्त नियमानुसार किया जा सकेगा।<br>5. विश्वविद्यालय के कुलसचिव/उपकुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर के आमंत्रित अतिथियों से संबंधित मद यथा विभिन्न बैठकों, यात्रा, आवास, टैक्सी, भोजन इत्यादि हेतु अत्यावश्यक होने पर ही इस शक्ति का प्रयोग किये जाने की स्वीकृति होगी।<br>6. बिजली, पानी, चिकित्सा इत्यादि की अनिवार्यता/आकस्मिकता के कारण उत्पन्न दशा में, जब परम आवश्यकता हो, उक्त शक्ति के प्रयोग की स्वीकृति होगी।<br>उक्तानुसार आवश्यक संशोधन के साथ प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 73–5 | विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट विचारार्थ/निर्णयार्थ। | गठित समिति की रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।<br>भविष्य में विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों एवं कार्मिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर सर्वप्रथम शिकायतकर्ता से तथ्यों की पुष्टि हेतु दस्तावेज सहित शपथ पत्र प्राप्त होने पर विचारार्थ स्वीकार किया जा सकेगा। |
| 73–6 | संबद्धता के संबंध में शैक्षणिक शाखा के कार्यालय आदेश क्रमांक 9605–11 दिनांक 31.03.2023, 9613–19 दिनांक 31.03.2023, 9621–27 दिनांक 31.03.2023 एवं क्रमांक 9629–35 दिनांक 31.03.2023 की पुष्टि। | सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। |
| 73–7 | विश्वविद्यालय में आगामी भर्ती (Recruitment) के संबंध में निम्नानुसार समितियां बनाई जानी प्रस्तावित है:–<br>1. रिक्रूटमेंट एण्ड मोनिटरिंग कमेटी<br>2. स्क्रीनिंग एवं एवोलूशन कमेटी<br>3. ग्रिवेन्सेज रिड्रेसल कमेटी<br>उक्त कमेटियों के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने एवं प्रति सदस्य प्रति बैठक रूपये 2000/– (अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) मानदेय एवं भर्ती हेतु निर्धारित साक्षात्कार कमेटी सदस्यों को राशि रूपये 4500/–(अक्षरे रूपये चार हजार पांच सौ मात्र) मानदेय निर्धारित किये जाने के संबंध में संस्थापन शाखा से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 144 दिनांक 05.04.2023 विचारार्थ/निर्णयार्थ। | विश्वविद्यालय में आगामी भर्ती (Recruitment) के संबंध में निम्नानुसार समितियां गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।<br>1. रिक्रूटमेंट एण्ड मोनिटरिंग कमेटी<br>2. स्क्रीनिंग एवं एवोलूशन कमेटी<br>3. ग्रिवेन्सेज रिड्रेसल कमेटी<br>उक्तानुसार कमेटी के प्रति सदस्य प्रति बैठक रूपये 2000/– (अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) मानदेय एवं भर्ती हेतु निर्धारित साक्षात्कार कमेटी सदस्यों को प्रति सिटिंग राशि रूपये 4500/–(अक्षरे रूपये चार हजार पांच सौ मात्र) मानदेय निर्धारित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 73–8 | श्री रामचरण बोहरा, माननीय सांसद (लोकसभा) जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 17193 दिनांक 07.04.2023 एवं श्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, उद्योग एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्रांक 101 दिनांक 06.04.2023 अवलोकन पश्चात् निर्देशानुसार कार्यपरिषद् की बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ। | कार्यपरिषद् सिद्धान्ततः किसी भी सक्रिय राजनेता की मूर्ति को उसके जीवन काल में विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के पक्ष में नहीं है किन्तु स्व0 माननीय भैरोसिंह शेखावत जी ने 1998 में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु परिकल्पना करके विधान सभा द्वारा राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 पारित करवाया था, जिसका अनुमोदन 02 सितम्बर 1998 को माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया था। पुनश्चः 14 सितम्बर 2005 में सन्त विद्वानों की गरिमामयी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता भी आप द्वारा की गई थी।<br>अतः भैरोसिंह शेखावत जी की मूर्ति स्थापना के लिये कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से सहमत है। चूंकि यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार से अनुदानित संस्था है। अतः राज्य सरकार से |

| | | |
|---|---|---|
| | | अनुमोदन उपरान्त ही मूर्ति स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।<br>उक्त मूर्ति स्थापना में जो भी व्यय होगा उसकी पूर्व घोषणा माननीय श्री रामचरण बोहरा जी क्षेत्रीय सांसद ने सांसद निधि से किया है। कार्यपरिषद् एतदर्थ प्रस्ताव का स्वागत करती है। |
| 73–9 | माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 13966/2016 श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य विश्वविद्यालय के 11–कार्मिकों के द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 (परीवीक्षा अवधि 2–वर्ष के दौरान फिक्स वेतन) के विरूद्ध दायर की गयी याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2016 के अनुसार प्रकरण गोपाल कुमावत बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2015 के समान मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस एल पी राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत में दिये जाने वाले निर्णय को स्वीकार करने की शर्त पर स्वीकार की गई है।<br>विश्वविद्यालय द्वारा समान प्रकरण में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों के क्रम में याचिका संख्या 13068/2015 डॉ. संदीप जोशी व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य (8–कार्मिक) तथा याचिका संख्या 13098/2015 श्री कुलदीप तिवाडी बनाम राज. राज्य व अन्य (1–कार्मिक) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एसएलपी में होने वाले निर्णय के अध्ययधीन 2–वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि का नियमित वेतनमान व अन्य समस्त परिलाभों का भुगतान कर दिया गया है।<br>प्रकरण में कार्यपरिषद् की 67 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 67–14 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु कार्यपरिषद् की 67वीं बैठक कोरम के अभाव में विवादित है। अतः प्रकरण पुनः आगामी कार्यपरिषद् हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ। | विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रकरणों 13068/2015 एवं 13098/2015 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दिनांक से नियमित परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है। याचिका संख्या 13966/2016 में माननीय न्यायालय का निर्णय पूर्व प्रकरणों के समान होने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दिनांक से नियमित परिलाभ दिये जाने का अनुमोदन करती है। |
| 73–10 | डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, संकायाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा का माध्यम संस्कृत एवं अन्य के लिये परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी रखे जाने का प्रकरण | सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों, जिन्होंने पूर्व में संस्कृत विषय लेकर अध्ययन किया है, जिनका माध्यम संस्कृत विषय है, उनकी परीक्षा का माध्यम भी संस्कृत होगा। अन्य सामान्य छात्रों के लिये |

| | | |
|---|---|---|
| | विचारार्थ/निर्णयार्थ। | परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत तीनो में से कोई भी रखे जाने का निर्णय लिया गया। |
| 73–11 | विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक एवं स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में। | विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक एवं स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से कार्मिकों के चयन करने में असमर्थता अथवा अधिक समय लगने की संभावना की स्थिति में विश्वविद्यालय के स्तर पर भर्ती प्रक्रिया संपादित किये जाने का अनुमोदन किया गया। |
| 73–12 | डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, संकायाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र संकाय द्वारा शिक्षाशास्त्र विभाग के शिक्षकों हेतु शैक्षिक योग्यता एनसीटीई के नियमानुसार रखे जाने बाबत् प्रस्ताव विचारार्थ। | सदन द्वारा शिक्षाशास्त्र विभाग के आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य के पदों हेतु शैक्षणिक अर्हताओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर एनसीटीई एवं यूजीसी के मापदण्डानुसार शैक्षणिक अर्हताऐं आगामी भर्तियों में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |

अन्त में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

04/5/23
(दुर्गेश राजोरिया)
कुलसचिव

4.5.2023
(प्रो0 रामसेवक दुबे)
कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्